

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक 30 MAY 2012

आदेश :-

इस विभाग के आदेश दिनांक 14.5.2012 के द्वारा निर्मांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के इच्छुक होने के कारण आवंटन आदेश एतदद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व. पद	आवंटित आवास	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	43/08	श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत कणिष्ठ लेखाकार, वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	डल्यु-ब्लॉक एमआरईसी कॉम्प्स गांधीनगर, जयपुर	31.8.2023
2.	7/2011	श्री रामकल्पाण गुजर कणिष्ठ लेखाकार आयोग उद्योग विभाग, जयपुर	ए-13, जवाहरनगर, जयपुर	30.11.2026
3.	2/2012	श्रीमती यामिनी कौशिक व्याख्याता (गृह विज्ञान) राजकीय गहराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड़, जयपुर	15/16, गालवीयनगर, जयपुर	31.5.2023
4.	31/2012	श्री सुरेन्द्र सिंह राजपुरेहित राजस्थान लेखा सेवा, प्रशिक्षु हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संरक्षण, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 27 विद्याधरनगर, जयपुर	31.1.2030

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संगायीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी राज्यवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
5. कोषाधिकारी कोष कार्यालय शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड़, जयपुर।
9. निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संरक्षण, जयपुर।
10. संवधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अधिक में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अगले में लावे।
11. अधिकारी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विविविनिगम लिंग गांधीनगर/जवाहरनगर/गालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
12. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तत्त्व योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड में चर्पा करावें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड में चर्पा करावें।

15. श्रीमती धामिनी कौशिक, व्याख्याता (गृह विज्ञान) राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटी चौपड़, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(ग)ए के तहत छ: माह पश्चात् गांधीनगर हेतु विचारणीय होगा।
16. श्री रामकल्याण गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार, आयोग उद्योग विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(ग)ए के तहत छ: माह पश्चात् जवाहर नगर हेतु विचारणीय होगा।
17. श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत, कनिष्ठ लेखाकार, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(ग)ए के तहत छ: माह पश्चात् बहुमंजिला आवास गांधीनगर हेतु विचारणीय होगा।
18. संबंधित अधिकारीगण।
19. निदेशक, उधान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
20. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप- 5) विभाग।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
22. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
23. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव